



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2015/फाल्गुन 12, 1936

No. 479]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2015/PHALGUNA 12, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2015

**का.आ. 654(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. एनएच-14019/10/97-पार्ट दिनांक 4 दिसम्बर, 1998 के अधिक्रमण में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 1101(अ), दिनांक 06.11.2001 में एतद्वारा पुनः निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

“उक्त अधिसूचना में शब्दों, आकड़ों और अक्षरों ‘और सं. 109’ का विलोपन होगा।”

[फा. सं. एनएच-14013/1/2014-पी एंड एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2015

**S.O. 654(E).**—In exercise of powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and in supersession to the order of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number NH-14019/10/97-PL dated 4th December, 1998, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1101(E), dated 06.11.2001, namely:—

“In the said notification, the words, figures and letters ‘and No. 109’ shall be omitted.”

[F. No. NH-14013/1/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2015

**का.आ. 655(अ).**—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा निदेश देती है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित कार्यों का निष्पादन, प्रत्येक राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट राज्य सरकार द्वारा इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि संबंधित राज्य सरकार ऐसे कार्यों को उक्त अधिनियम के तहत वर्तमान में प्रवर्तन नियमावली के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध होगी तथा इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 23 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—

### तालिका

(1)	(2)	(3)
23	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 {(कि.मी.21800 से कि.मी.368.000) रुद्र प्रयाग बाईपास सहित}, सं. 72ए, सं. 73, सं.74 {कि.मी. 175.000 से कि.मी. 264.000 (काशीपुर-सितारगंज-बरेली खंड को छोड़कर)}, सं.87 {रामपुर से काठगोदाम खंड कि.मी. 43.30 (उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सीमा) से कि.मी.88.00 (काठगोदाम तक) को छोड़कर}, सं. 87 विस्तार{सिमली से कर्ण प्रयाग (कि.मी. 7.00) को छोड़कर}, सं. 94 [कि.मी.123 से कि.मी. 218(घरासू से कुठनौर यमनोत्री के समीप तक)], सं. 109(रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड), सं. 119, सं. 121, सं. 123, सं. 125 {कि.मी. 0.000 से कि.मी. 52.200 तक (सितारगंज-टनकपुर खंड) को छोड़कर}, नई रा.रा.107ए, नई रा.रा.309 ए और नई रा.रा. 334ए के उतने भाग जो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं।	उत्तराखंड राज्य सरकार”

[फा. सं. एनएच-14013/1/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश निदेशक (पीएंडएम)

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 34(अ), तारीख 2 जनवरी, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2015

**S.O. 655(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 23 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

23	So much of National Highways No. <b>58 {(km 218.000 to km 368.000) including Rudraprayag bypass}</b> , No. 72A, No. 73, No. 74 {excluding from Km.175.000 to Km. 264.000 (Kashipur-Sitarganj-Bareilly Section)}, <b>No. 87 {excluding Rampur to Kathkodam section from km. 43.30 (Uttar Pradesh/Uttarakhand Border) to km. 88.00 (Kathgodam)}</b> , <b>No. 87 Extn {excluding from Simli to Karna Prayag (7.00 kms)}</b> , No. 94 [from Km. 123 to Km. 218 (Dharasu to Kuthnaur near Yamnotri)], <b>No. 109 (Rudraprayag-Gaurikund)</b> , No. 119, No. 121, No. 123, No. 125 {excluding from km. 0.000 to km. 52.200 (Sitarganj-Tanakpur section)}, new National Highway No. 107A, new National Highway No. 309A and new National Highway No. 334A as are situated within the State of Uttarakhand.	State Government of Uttarakhand.”
----	---	-----------------------------------

[F. No. NH-14013/1/2014-P&amp;M]

MAYA PRAKASH, Director (P&amp;M)

**Note :** The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 34(E), dated the 2nd January, 2015.